न्यायालय, जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, यज्ञ मित्र सिंहदेव आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 48/2015 अपील आवश्यक वस्तु अधिनियम

कमलेश कुमार पुत्र हरफूलसिंह रोहलानिया, जाति रोहलानिया, निवासी गढ़टकनेत, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, सीकर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र पारीक अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 24.07.2015 द्वारा जिला रसद अधिकारी, सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांकः 22 अक्टूबर, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः—

(1) अपीलार्थी ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का अधिकृत राशन डीलर है जो सन 2013 से अधिकृत राशि डीलर होकर प्राधिकार—पत्र की शर्तों के अनुसार राशन सामग्री का उपभोक्ताओं में वितरण करता आ रहा है। अपीलान्ट पर सतर्कता समिति राशन उपभोक्ताओं की किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रही है। अपीलान्ट का परिवार एक राजनैतिक परिवेश का परिवार है। वर्तमान में भी अपीलान्ट की पत्नी ही गांव की सरपंच है। राजनैतिक वजह से विरोधी व्यक्ति शिकायतकर्त्ता होकर अपीलान्ट पर बिना आधार के आरोप लगाते रहते हैं। अपीलान्ट पर राजनैतिक वजह से गलत आरोपों की आड़ में रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 24.07.2015 को प्राधिकार—पत्र निरस्त किया गया है।

(2) अपीलान्ट के द्वारा राशन सामग्री का वितरण प्राधिकार—पत्र की शर्तों के अनुसार ही किया जाता रहा है। रेस्पोडेन्ट के द्वारा आरोपों की व्यक्तिगत जांच नहीं करके पत्रावली के विरूद्व जाकर बिना किसी साक्ष्य के आधार पर प्राधिकार—पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)

Scanned by CamScanner

(3) ग्राम गढ़टकनेत में राशन डीलर के द्वारा उपभोक्ता सामग्री वितरण व्यवस्था में एक सर्तकता समिति का निर्माण कर रखा है। सतर्कता समिति के द्वारा वितरण व्यवस्था पर सुचारू रूप से नियंत्रण किया जाता है। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्व सतर्कता समिति को कोई शिकायत नहीं दी गई है।

(4) रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलान्ट पर ऐसा कोई आरोप आरोपित नहीं है जिससे यह सिद्व हो कि अपीलान्ट के द्वारा गेहूं, केरोसीन की कालाबाजारी की जाती हो या वितरण व्यवस्था अनियमित हो ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र राजनैतिक वजह से निरस्त किया गया है।

(5) अपीलान्ट का पूर्व में भी राजनैतिक वजह से झूठी शिकायत के आधार पर रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 04.02.2014 को प्राधिकार–पत्र निलम्बित किया गया था लेकिन लगाये गये आरोप निराधार होने के कारण प्राधिकार–पत्र दिनांक 24.02.2014 को उपखण्ड अधिकारी (रसद) श्रीमाधोपुर के द्वारा बहाल कर दिया गया था जो इस बात का संकेत है कि अपीलान्ट पर राजनैतिक प्रभाव से झूठे आरोप लगा कर विरोधी व्यक्तियों द्वारा राजनैतिक दबाव लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि अपीलान्ट के द्वारा सुचारू रूप से राशन सामग्री का वितरण किया जाता रहा है।

(6) रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 25.02.2015 को अपीलान्ट पर कारण बताओ नोटिस जारी करके आरोप लगाया गया कि आप के द्वारा ग्राम पंचायत से स्टॉक का सत्यापन नहीं करवाया जा रहा है व 75 राशन कार्डों में एक से अधिक बार इन्द्राज करना पाया गया है। अपीलान्ट के द्वारा उचित समय पर जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 27.04.2015 को अपीलान्ट का प्राधिकार–पत्र निलम्बित कर दिया व 90 दिन पूर्ण होने वाले ही थे इसलिए विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 3 दिन शेष रहते हुए राजनैतिक दबाव से प्राधिकार–पत्र निरस्त कर दिया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(7) अपीलान्ट पर प्रथम अनियमितता यह दर्ज की गई है कि ग्राम पंचायत से स्टॉक का सत्यापन नहीं करवाया जा रहा है। उक्त अनियमितता गलत रूप से दर्ज की गई है जबकि अपीलान्ट के द्वारा स्टॉक का सत्यापन ग्राम पंचायत से उचित समय पर करवाया जाता रहा है, जो स्टॉक रजिस्टर रेस्पोडेन्ट के पास ही जमा है।

Web Copy - Not Official

(8) रेस्पोडेन्ट के द्वारा द्वितीय अनियमितता अपीलान्ट पर यह दर्ज की है कि माह दिसम्बर 2014 के पेटे जारी केरोसीन का वितरण रजिस्टर कमांक 1228 दिनांक 27.11.2014 की जांच में 75 राशन कार्डो में एक से अधिक बार इन्द्राज कर 294

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

लीटर केरोसीन का फर्जी इन्द्राज करना पाया गया है। उक्त अनियमितता अपीलान्ट पर बिना किसी सबूत के झूठी दर्ज की है। वास्तविकता यह है कि अपीलान्ट के द्वारा एक ही माह में एक राशन कार्ड पर दो बार वितरण करने का इन्द्राज नहीं किया गया है न ही 75 राशन कार्डों में एक से अधिक बार इन्द्राज कर गबन किये जाने की व्यवस्था में स्टॉक रजिस्टर में फर्क आना या अन्तर आना निश्चित रूप से होता है जबकि केरोसीन के स्टॉक में किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं पाया गया है। अपीलान्ट के द्वारा 294 लीटर कम होना चाहिए था लेकिन ऐसा कोई आरोप आरोपित नहीं है कि केरोसीन स्टॉक की फिजीकल जांच करने का स्टॉक कम पाया गया हो। ऐसी अवस्था में स्पष्ट है कि अपीलान्ट के द्वारा केरोसीन का किसी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया गया है।

(9) अपीलान्ट के द्वारा क्रय विक्रय द्वारा उठाई गई मात्रा 3820 लीटर केरोसीन दिसम्बर 2014 में उठाया गया था। पिछले माह का 31 लीटर शेष था। इस प्रकार दिसम्बर 2014 में अपीलान्ट के पास 3851 लीटर तेल स्टॉक में था। उक्त तेल में से दिसम्बर 2014 में 3750 लीटर तेल का वितरण का दिया गया तथा शेष 101 लीटर तेल स्टॉक में रहा, जो दिसम्बर 2014 की शीट से सिद्व होता है। जनवरी 2015 में कुल स्टॉक 3671 लीटर रहा। वितरण 3558 लीटर का कर दिया गया शेष स्टॉक 113 लीटर रहा जो जनवरी 2015 की शीट से सिद्व होता है। फरवरी 2015 में कुल मात्रा 3803 लीटर थी उक्त केरोसीन में से 3750 लीटर का वितरण कर दिया गया। शेष 53 लीटर तेल रहा जो शीट से सिद्व है। इस प्रकार से अपीलान्ट के द्वारा तेल वितरण में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश जिला रसद अधिकरी सीकर दिनांक **24.07.2015** को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने का आदेश पारित करने का श्रम करें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. बहस अपीलान्ट सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा स्टॉक का सत्यापन ग्राम पंचायत से उचित समय पर करवाया जाता रहा है, जो स्टॉक रजिस्टर रेस्पोडेन्ट के पास ही जमा है। अपीलान्ट के द्वारा एक ही माह में एक राशन कार्ड पर दो बार वितरण करने का इन्द्राज नहीं किया गया है न ही 75 राशन कार्डों में एक से अधिक बार इन्द्राज कर गबन किये जाने की

(मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)
Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

व्यवस्था में स्टॉक रजिस्टर में फर्क आना या अन्तर आना निश्चित रूप से होता है जबकि केरोसीन के स्टॉक में किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं पाया गया है। अपीलान्ट के द्वारा 294 लीटर कम होना चाहिए था लेकिन ऐसा कोई आरोप आरोपित नहीं है कि केरोसीन स्टॉक की फिजीकल जांच करने का स्टॉक कम पाया गया हो। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकरी सीकर का आदेश दिनांक **24.07.2015** निरस्त फरमाया जावे।

5. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। कमलेश कुमार बनाम जिला रसद अधिकारी सीकर बाबत जिला रसद अधिकारी की पत्रावली 540/2015 में उपलब्ध निरीक्षण रिपोर्ट दस्तावेज में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। साथ ही जिला रसद अधिकारी सीकर द्वारा समस्त तथ्यों का गुणावगुण के आधार पर विवेचन उपरान्त पारित निर्णय का भी अवलोकन किया। प्रवर्तन निरीक्षक श्रीमाधोपुर व जिला रसद अधिकारी सीकर द्वारा प्रकरण में समस्त तथ्यों का नियमों की परिधि में पूर्ण विवेचन किया गया है और उक्त जांच रिपोर्ट, दस्तावेज एवं आदेश में यह प्रमाणित है कि सम्बन्धित उचित मूल्य दुकानदार द्वारा माह दिसम्बर 2014 के पेटे दिनांक 27.11.2014 की जांच में 75 राशनकार्डों में एक से अधिक बार इन्द्राज कर 294 लीटर केरोसीन तेल का फर्जी इन्द्राज करना पाया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब में उक्त बिन्दु के परिपेक्ष्य में ऐसा कोई ठोस सबूत या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उक्त तथ्य गलत साबित होता है। इस परिपेक्ष्य में विवेचन करने पर जिला रसद अधिकारी सीकर द्वारा पारित आदेश **24.07.2015** में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. अतः अपील अपीलान्ट **खारिज** की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांकः 22 **अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner